न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 106/2022 राजस्व अपील

1. राकेश पुत्र रामावतार
2. त्रिवेणी पत्नि रामावतार

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लाहडी का बास तहसील राहूवास जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 17.02.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राकेश मुकदमा नम्बर 157/2022 तहसीलदार राहूवास जिला दौसा)

उपस्थिति : श्री हरिनारायण माठा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 04.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम लाहडी का बास तहसील राहूवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 196/148, 148/1/2 रकबा 12 बीघा भूमि पर सरसों, चना व गेहूं की काश्त कर अपीालान्ट्स का अतिक्रमण मानकर धारा 91 एल. आर. एक्ट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिये गये। जिसकी तामील पर अपीलान्ट्स उपस्थित आये एवं दिनांक 31.1.2022 को जवाब पेश किया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त का निर्णय पेश करने पर 10 बीघा भूमि छोडकर 2 बीघा पर अतिक्रमण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राहूवास ने बेदखली के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार राहूवास के उक्त आदेश दिनांक 17.02.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लाहडी का बास वर्तमान तहसील राहूवास में स्थित भूमि 196/148, 148/1/2 रकबा 20 बीघा सिवायचक पर 50–60 वर्षो से अपीलान्ट्स का निरन्तर पैतृक कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि है। परन्तु गलत इन्द्राज सिवायचक बतौर गलत दर्ज कर दिया है। जिसके कारण पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की शिकायत तत्कालीन तहसीलदार लालसोट के समक्ष पेश की तो तहसीलदार लालसोट ने कब्जे के सम्बन्ध में सरकारी रिकॉर्ड से विधिवत जांच करने के आदेश फरमाये एवं उक्त पत्रावलियां नियमन हेतु सहाकय कलक्टर लालसोट को प्रेषित कर दी। सहायक कलक्टर लालसोट द्वारा तहसीलदार लालसोट की अभिशंषा नहीं मानी गई। इसलिये न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपीलान्ट्स संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 53/1999 एवं अपीलान्ट्स संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 57/1999 पेश की गई। अपीलो की सुनवाई कर दिनांक 16.8.1999 को अपीले स्वीकार कर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने आदेश फरमाया कि दीर्घकालीन कब्जा होने के कारण विवादित आराजी का नियमन अपीलान्ट के हक में कर दिया जावे। निर्णय दिनांक 16.8.1999 की पालना में जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 14.12.2005 को पत्र क्रमांक R11R/43/2005/9020 एवं R11R/42/2005/9021 द्वारा आदेश फरमाया कि आवेदक के पक्ष में आवंटन व नियमन की कार्यवाही की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने भी पत्र क्रमांक R11R/43/2005/5851 दिनांक 5-12-2014 एवं R11R/42/2005/5852 दिनांक 5-12-2014 को मूल पत्रावलियां उप जिला कलक्टर लालसोट को भेजकर कार्यवाही कर प्रार्थीयान को सूचित कराने के आदेश देने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की। वर्तमान खसरा नम्बर 196/148/1 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. अंकित कर रखा है। इन्द्राज के सम्बन्ध में भी पुनः जांच करवायी गई एवं तहसीलदार लालसोट ने जांच कर यह रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 15.08.1947 को रिकॉर्ड के भूमि बंजड प्रथम व बंजड दोयम है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. सिवायचक अंकन गलत दर्ज है। जो दुरूस्ती योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों के अनुसार भूमि किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. दर्ज है। किन्तु मौके पर काबिज काश्त होना बताया गया है। गै. मु. यदि काश्त योग्य है तो नियमन किया जा सकता है। सम्वत 2049, 2051, 2054 खसरा परिवर्तनशील में खेती होना, इस भूमि की किस्म बारानी तृतीय दर्ज है। सम्वत 2054 में इसमे सम्पूर्ण 10–10 बीघा पर प्रार्थीयान ने बाजरा एवं गेहूं की खेती की है। सम्वत 2051 में सिवायचक लगानी दर्ज है। इन दस्तावेजो से यह तथ्य सिद्ध होता है कि दोनो अपीलार्थी हाल काबिज है। भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। भूमि को नियमित करना कानून और न्याय संगत है। राजस्व अधिकारी की मौका रिपोर्ट मे भी उक्त भूमि समतल व कृषि योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत् सम्पूर्ण रिकॉर्ड पेश कर रखे है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के यहां धारा 91 की पत्रावलियां नियमन की सिफारिश के साथ तहसील से मंगवा ली जाती थी। चूंकि तहसील लालसोट के बाद तहसील रामगढ पचवारा जाने के कारण एवं अब राहूवास तहसील हो जाने से मनमानी कार्यवाहियां करके प्रार्थीयान को परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने कोई अतिचार नहीं किया है एवं प्रार्थीगण को 10 बीघा 10 बीघा भूमि नियमन करने की सिफारिश फरमा दी जावें एवं उक्त धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत किया गया निर्णय दिनांक 17.01.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रेषित जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2022 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण ग्राम लाहडी का बास के खसरा नम्बर 196/148, 148/1/2 रकबा 92 बीघा पटवारी हल्का डोब की सिवायचक पर नाजायज कब्जे की रिपोर्ट अतिक्रमी राकेश पुत्र रामावतार, त्रिवेणी पत्नि रामावातार के विरूद्ध प्राप्त हुई। अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी द्वारा 10 बीघा भूमि पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया तथा 2 बीघा भूमि स्थगन से मुक्त को बेदखल कर 50 गुना अर्थदण्ड से अतिक्रमी को दण्डित किया गया। नियमन किये जाने का कोई आदेश अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नियमन का आदेश भी आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अतिक्रमी नियमन की पात्रता भी नहीं रखता है एवं भूमि की किस्म भी गैर मुमकिन नला है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 196/148 में 12 बीघा पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण होना तथा पूर्व से अतिचारी होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स को जारी नोटिस में भी उक्त खसरा नम्बर 196/148 अंकित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2022 में खसरा नम्बर 196/148 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 148/1/2 अंकित है। उक्त खसरा नम्बरान में से 2 बीघा रकबे पर अतिक्रमण मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। जिससे अतिक्रमित भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.1999 एवं जिला कलक्टर दौसा के पत्र दिनांक 14.12.2005 द्वारा भूमि नियमन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का उल्लेख किया गया है। उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रकरण संख्या 157/2022 उनवानी सरकार बनाम राकेश, त्रिवेणी में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राहूवास को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के रिकॉर्ड एवं उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं अन्य अपीलेट न्यायालय तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रदत्त निर्देशो के सन्दर्भ में प्रकरण का पुनः परीक्षण करे एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा